

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ संकल्प ॥

विषय—राज्य सरकार के कर्मियों को बुद्ध स्मृति पार्क, पटना में संचालित विपश्यना केन्द्र में आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु अधिकतम 15 दिनों का विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार के कर्मियों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के तत्वाधान में बुद्ध स्मृति पार्क, पटना में अवस्थित विपश्यना केन्द्र का संचालन पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क रूप में किया जाता है।

2. विपश्यना ध्यान (Vipassana Meditation) किये जाने से सरकारी कर्मियों के कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण सरकारी सेवकों के व्यक्तित्व एवं अंतर्विभागीय संबंधों में सुधार के साथ-साथ समेकित गुणात्मक सुधार होंगे।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि—

राज्य सरकार के कर्मियों के लिए बुद्ध स्मृति पार्क, पटना अवस्थित विपश्यना केन्द्र में निःशुल्क रूप से संचालित किये जाने वाले 10 दिनों के आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में भाग लिये जाने हेतु अधिकतम 15 दिनों का विशेष अवकाश अनुमान्य होगा।

परंतु आवश्यकतानुसार अधिकतम 15 दिनों तक के लिए विशेष अवकाश उन राज्य सरकार के कर्मियों के लिए ही स्वीकृत किया जायेगा जो पटना से बाहर अवस्थित कार्यालय से आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आयेंगे।

4. यह अवकाश सक्षम प्राधिकार द्वारा तभी स्वीकृत किया जायेगा जब संबंधित कर्मि का आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में शामिल होने की विपश्यना केन्द्र से लिखित सम्पुष्टि/सूचना प्राप्त हो जायेगी।


5. उपर्युक्त कंडिका-3 के निर्णय पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

6. यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(चंचल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/एम0-27/2021 सा0प्र0.12.829 पटना, दिनांक- 28.10.21


प्रतिलिपि-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को, बिहार, पटना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(चंचल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/एम0-27/2021 सा0प्र0.12.829 पटना, दिनांक- 28.10.21

प्रतिलिपि-राज्यपाल, बिहार के सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(चंचल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।